<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 824 / 2014</u> संस्थित दि: 10 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — अभियोगी

विरुद

जोहरीसिंह पिता माहू तेकाम, उम्र 50 साल, जाति बैगा, निवासी ग्राम कुकडा चौकी डोरा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — — आरोपी

–<u>ः उर्पापण – आदेश ः:</u>–

(आज दिनांक 24/09/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हरेसिंह ने दिनांक 02/08/2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 01/08/2014 शुक्रवार को दिन के 02:00 बजे उसका पिता को आरोपी जौहरीसिंह ने मुर्गी खा जाने की बात को लेकर मॉ—बहन की गन्दी—गन्दी गालिया दी और लकड़ी से उसके पिता के साथ मारपीट करने लगा, जिससे उसके पिता के आंख, सिर, पीठ में चोट आईं। आरोपी जौहरीसिंह ने उसके पिता चैनसिंह को जान से खत्म करने की नियत से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी जौहरीसिंह के विरूद्ध अपराध कमांक 0/14 अन्तर्गत धारा 294, 323, 307 के तहत कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर मेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी जौहरीसिंह के विरूद्ध अपराध कमांक 91/14 अन्तर्गत धारा 294, 323, 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी जौहरीसिंह को गिरफ्तार कर ईलाज के दौरान चैनसिंह की मृत्यु हो जाने से आरोपी जौहरीसिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 का इजाफा कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 307, 302 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

आपराधिक प्र.क.: 824 / 2014

- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 294, 323, 307, 302 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 302 माननीय सन्न न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सन्न न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 08.10. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्य बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट